

एसआरजी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 321, एस.एम. लोढ़ा कॉम्प्लेक्स, उदयपुर (राज.)

फोन : 0294-2412609

अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

(वैयक्तिक आवासीय ऋण / गैर आवासीय ऋण के लिए)

एसआरजी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, उदयपुर SRGHFL(ऋणदाता) और श्री
..... (ऋणकर्ता/ऋणी) के बीच अनुबंध के मुख्य नियम व शर्तें:

- ऋण :**
ऋण राशि :
- ब्याज**
ए. ब्याज दर :
बी. ब्याज का प्रकार : स्थिर :
सी. मोरटोरियम पीरियड :
- किश्त के प्रकार** : मासिक / त्रैमासिक / अर्द्ध वार्षिक / वार्षिक किश्त
- ऋण की अवधि** :
- ऋण का प्रयोजन** : मकान बनाने हेतु / नवीनीकरण हेतु / मरम्मत के लिए / मकान खरीदने हेतु / अन्य
- शुल्क तथा अन्य प्रभार** : प्रक्रिया शुल्क
अन्य शुल्क स्वीकृति पत्र (Sanction Letter) के अनुसार
- ऋण के लिए बन्धक प्रतिभूति:**
ए. बंधक संपत्ति का पता :
बी. गारन्टर का नाम :
सी. अन्य : स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते में उल्लेखित बीमा पॉलिसी, चैक, गारंटी या कोई अन्य प्रतिभूति।
- संपत्ति एवं ऋणकर्ता का बीमा** : संपत्ति का बीमा ऋणी या SRGHFL द्वारा करवाया जायेगा, जिसका खर्च ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- ऋण संवितरण की शर्तें** : सभी जरूरी कागजात पर स्वीकृति तथा ऋण अनुबंध करने के बाद।
- ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान :**
मासिक किश्तें :
कुल किश्तें :
भुगतान की तिथि :
ब्याज दर में परिवर्तन : दर या मासिक किश्त में बदलाव करने पर SRGHFL ऋणकर्ता को पत्र द्वारा 15 दिन पूर्व अग्रिम सूचना देगा।

11. वसूली प्रक्रिया :

ऋणकर्ता का बैंक अस्वीकृत होने पर SRGHFL ऋणकर्ता को फोन या मैसेज पर सूचना देकर मासिक किश्त व बैंक अस्वीकृति को प्रभार सहित जमा करवाने की सूचना देंगे। सात दिन में जमा नहीं करवाने पर उचित कानूनी कार्यवाही SRGHFL के नियमानुसार की जावेगी।

12. प्री-क्लोजर (समय पूर्व भुगतान/प्रीपेमेंट)

- कंपनी समय पूर्व भुगतान/प्रीपेमेंट निम्नलिखित स्थितियों के तहत आवास ऋण के समय पूर्व-बंद होने पर प्रीपेमेंट लेवी या जुर्माना नहीं लेगी।
(अ) अगर आवास ऋण फ्लोटिंग/अस्थिर ब्याज दर के आधार पर है। (किसी भी स्रोत के माध्यम से बंद)
(ब) अगर आवास ऋण फिक्सड/स्थिर ब्याज दर के आधार पर है और ऋणी स्वयं के स्रोतों से बंद करता है। (इस संबंध में, स्वयं के स्रोत का मतलब किसी बैंक/एचएफसी/एनबीएफसी और/या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के अलावा किसी स्रोत से भुगतान करता है।)
- प्री-क्लोजर शुल्क (समय से पूर्व भुगतान शुल्क/प्रीपेमेंट)
 1. 5% + लागू कर, समय से पूर्व भुगतान शुल्क / प्रीपेमेंट चार्ज लगाया जाएगा अगर ऋण पहले डिस्बर्समेंट के 12 महीने के भीतर बंद किया जाता है।
 2. 3 % + लागू कर, समय से पूर्व भुगतान शुल्क / प्रीपेमेंट चार्ज लगाया जाएगा अगर ऋण पहले डिस्बर्समेंट के 12 महीने के बाद बंद किया जाता है।

13. उपभोक्ता सेवायें :

1. कार्यालय में मिलने का समय : प्रात 10:30 से सायं 05:00 बजे तक (अवकाश को छोड़कर)
2. सम्पर्क अधिकारी : श्री दिलीप जी सिंघवी
3. लेखा विवरणी प्राप्त करने का समय : 3 कार्य दिवस में
4. दस्तावेजों की फोटो प्रति : 7 कार्य दिवस में
5. मूल दस्तावेजों की वापसी : 25 कार्य दिवस में

14. शिकायत निवारण :

ऋणकर्ता को शिकायत होने पर वह कार्यालय में सम्पर्क कर लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज करा सकता है या ई-मेल cgrcell@srghousing.com पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और अगर उत्तर से संतुष्ट न हो या उत्तर प्राप्त नहीं हो तो शिकायतकर्ता चाहे तो ऑनलाईन मोड द्वारा इस लिंक <http://www.nhbonline.org.in> पर दर्ज करा सकेगा एवं यदि ऑफलाईन मोड है तब भी इस लिंक https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप को डाक द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, कोर-5-ए, इण्डिया हैबीटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 पर भेज सकते हैं।

एतद् द्वारा यह सहमति हुई कि ऋण के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए उल्लेखित पक्षों को उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किये जाने वाले ऋण तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावेज संदर्भित और विश्वासयोग्य होंगे।

उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों को ऋणकर्ताओं व जमानती (गारंटर) ने पढ़ व समझ लिया है तथा इसके नियमों यों एवं शर्तों की मूलप्रति प्राप्त कर ली है।

(ऋणकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान)

वास्ते एसआरजी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

(प्राधिकृत अधिकारी)

1.
2.
3.
4.